न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–50 सन् 2011

मालती देवी.....वादिनी।

बनाम

राम बालक महतो वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–13.10.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 2 वो दफा–151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 14.12.2021 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने हकियत का मुकदमा खाता नं0 53, खेसरा नं0 95 रकबा 2 कठा 8 धूर मौजा–सैदपुर रंजन बरबट्टा, थाना– सोनपुर, जिला–सारण पर किया है। जिसमें प्रतिवादी उपस्थित होकर बयान तहरीरी दाखिल कर मुकदमा लड़ रहे हैं। विवादित भूमि का पुरा विवरण अर्जीदावी के सिडियुल नं0 01 वो 02 में दिया गया है। प्रतिवादी बहुत ही मनशोख एवं लठियल है। लाठी के बल पर सिडियुल नं0 02 के जमीन पर पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं। पक्का दिवाल उठाकर मकान ढ़लवाने की तैयारी कर रहे हैं। वादी ने जा कर मना किया तो प्रतिवादी ने झगड़ा झंझट शुरू कर दिया तथा वादी को मारने पड़े तो हल्ला सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए तथा बीच बचाव कर वादी की जान बचाये। न्यायहित में इंतनाई जारी करना वो निर्माण कार्य रोकना अति आवश्यक है। इंतनाई जारी नहीं होने से वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। अतः निवेदन है कि इंतनाई जारी कर प्रतिवादीगण को निर्माण कार्य करने से रोक दिया जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का कारण पृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें कथन है कि जिस बयानात के साथ वादी ने इंतनाई दाखिल किया है वह स्वीकार होने नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का इंतनाई बिल्कुल गलत कथनों पर आधारित है जो सच्चाई के विपरीत है। वादी को सवाल इंतनाई दाखिल करने को कोई हक प्राप्त नहीं है। खुद वादी के द्वारा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त को नियुक्त कराकर स्थल जांच करवाया है और सर्वे जानकार अधिवक्त आयुक्त ने यह स्पष्ट प्रतिवेदन दिया है कि तकरारी भूमि में प्रतिवादी का मकान स्थित हे जो

काफी पूर्व से है। ऐसी परिस्थिति में वादी का इंतनाई आवेदन स्वीकार होने योग्य नहीं है। मालिक के द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वज को वह भूमि बसने हेतु दी गई थी जिस पर जमिंदारी उन्मुलन के पूर्व से है। प्रतिवादी के पूर्वज का मकान रहता आया है जिसमें प्रतिवादीगण का पूर्वज सपरिवार रहते आये वो वर्तमान में प्रतिवादीगण सपरिवार रहते हैं। प्रतिवादी के पूर्वज के नाम से रिर्टन के आधार पर प्रतिवादी के पूर्वज के नाम से जमाबंदी रजिस्टर–2 कायम हुआ और सरकार को लगान अदा कर हासिल होता आया जो अभी भी कायम है। वादी के द्वारा दाखिल किया गया सवाल इंतनाई कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कायम नहीं है। वादी का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है। इंतनाई लागू होने से वादी को कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होगी बल्कि लागू होने से प्रतिवादीगण को काफी क्षति होगी। प्रस्तुत वाद में वर्तमान में कोई स्थल जांच प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। प्रतिवादी के द्वारा अपना बयान तहरीरी दाखिल किया गया है और यह कारण पृच्छा बयान तहरीरी का अंश माना जाए। अतः निवेदन है कि वादी का सवाल इंतनाई साथ खर्चा के खारिज फरमाया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से विवादित भूमि पर इंतनाई लागू कर प्रतिवादी के द्वारा हो रहे निर्माण को रोकने हेतु दाखिल किया है। जबकि प्रतिवादी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में कथन है कि विवादित स्थल पर पहले से बना मकान है जिसमें सपरिवार काफी लंबे समय से रहते आए हैं। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी का प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन बनता प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में विवादित भूमि पर इंतनाई लागू नहीं होने से वादी को कोई अपूर्णिय क्षति नहीं होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 14.12.2021 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।